राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2354 / 2025

महेश कुमार जांगिड़

–अपीलार्थी

बनाम

विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रेम प्रकाश बुनकर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 24.03.2025 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ब्लॉक लेखा सहायक, एनएचएम का समस्त चार्ज सुपुर्द किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को पूर्व में अधिकरण द्वारा अपील संख्या–2313 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के द्वारा मूल पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित रखे जाने के आदेश पारित किये गये थे। अपीलार्थी को उक्त आदेश की पालना में मूल पदस्थापित स्थान पर पदस्थापित नहीं किया गया है और वर्तमान में अपीलार्थी को ब्लॉक लेखा सहायक, एनएचएम का समस्त चार्ज सुपुर्द किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी को प्रशासनिक कारणों से ब्लॉक लेखा सहायक, एनएचएम का समस्त चार्ज दिया गया है। पूर्व में इस अधिकरण द्वारा जो निर्देश दिये गये थे, वह भिन्न विषय है। वर्तमान में अपीलार्थी को चार्ज दिये जाने का आदेश प्रशासनिक आदेश है, जिसमें हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष